कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 55 /मुरादाबाद/33064/2018, दिनांक, लखनऊ, जुलाई 09, 2018

सेवा में,

वन संरक्षक,
मुरादाबाद वृत्त,
मुरादाबाद।

विषय : मुरादाबाद–हरिद्वार–देहरादून (मुरादाबाद–कॉठ मार्ग) एस0एच0–49 किमी0 14 के चैनेज 13.552 से 13.600 की बायीं पटरी पर ग्राम–लदावली के खसरा सं0–242 में सिटी एनर्जी लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे सी0एन0जी0 रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.079664 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 07 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक–3362/14–1, दिनांक 13.06.2018, जो इस कार्यालय में दि0 02.07.18 को प्राप्त हुआ।

महोदय,

विषयगत प्रस्ताव उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि प्रस्ताव के साथ संलग्न की गयी कतिपय सूचनायें एवं अभिलेख पूर्ण एवं सुसंगत नहीं हैं, जो निम्न प्रकार हैं :–

1– प्रस्ताव के पृष्ठ–58(1) पर संलग्न बाधक वृक्षों के विवरण में 31–60 व्यासवर्ग व $\geq$150 व्यासवर्ग के प्रजातिवार वृक्षों का योग त्रुटिपूर्ण है। संशोधित कराने का कष्ट करें।

2– परियोजना में 256 पौधों के रोपण व 10 वर्षो के अनुरक्षण की योजना संलग्न की गयी है, जिसकी आंकलित धनराशि अत्यन्त कम है, इस धनराशि में रोपण व 10 वर्ष हेतु अनुरक्षण की धनराशि पर्याप्त नहीं प्रतीत होती। भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा रिटेल आउटलेट की निर्गत स्वीकृतियों में सामान्यतः 100 पौधों के रोपण व 10 वर्षो के अनुरक्षण की शर्त अधिरोपित की जाती है। अतः तद्नुसार 100 पौधों के रोपण व 10 वर्षो के अनुरक्षण की सुसंगत योजना प्रस्ताव के साथ संलग्न कराने तथा ऑनलाइन पार्ट–2 पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।

3– ऑनलाइन पार्ट–2 के Additional Information Details में अनेकों महत्वपूर्ण अभिलेख यथा : प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि जमा करने की वचनबद्धता, मक डिस्पोजल योजना, चिन्हित वन स्वरूप भूमि सम्बन्धी प्रभागीय निदेशक का प्रमाण–पत्र, परियोजना से 10 किमी0 की परिधि में कोई वन्यजीव विहार/सेंचुरी उपलब्ध होने सम्बन्धी प्रभागीय निदेशक का प्रमाण–पत्र, क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित वनभूमि की उपयुक्तता आदि अपलोड नहीं है। अपलोड कराने का कष्ट करें।

उपरोक्तानुसार सूचनाओं व अभिलेखों को पूर्ण करने हेतु आवश्यकता हो, तो किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं संशोधनोपरान्त ऑनलाइन पार्ट–2 की सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक व वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित प्रति एवं तत्सम्बन्धी मूल अभिलेख **तीन प्रति** में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 55 / उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्तानुसार संशोधनोपरान्त ऑनलाइन पार्ट–2 की संशोधित एवं प्रभागीय निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित प्रति एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख अपने वन संरक्षक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि श्री सतीश चन्द्र वर्मा, उपमहाप्रबन्धक, सिटी एनर्जी लि0, मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।